आर्थिक वृद्धि, वित्तीय गहनता तथा वित्तीय समावेशन*

राकेश मोहन

I. प्रस्तावना

मैं भारतीय बैंक संघ और आंध्रा बैंक को इस सम्मेलन में, जो कि बैंकरों और वित्तीय क्षेत्र के पेशेवरों के लिए प्रत्येक वर्ष की एक घटना हो गई है, आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

सम्मेलन के केंद्रीय विषय को अर्थात् 'समावेशी वृद्धि - एक नई चुनौती' को देखते हुए मैंने यह उपयुक्त समझा कि आर्थिक वृद्धि के व्यापक संदर्भ में वित्तीय समावेशन को रखूं। इस केंद्रीय विषय को चुनने की एक अन्य प्रेरणा भी थी। वह कौन-सा बड़ा परिवर्तन है जो 2004 के बाद हुआ है? भारतीय वृद्धि की कथा क्रमिक रूप से निरंतर आगे बढ़ रही है, तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य-निष्पादन ने विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित किया है। अब भारतीय वृद्धि की गाथा उसी सांस में कही जाती है जिसमें कि चीन की । गत तीन सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर औसतन 8.0 प्रतिशत की रही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों प्रथम तिमाही (अप्रैल से जून 2006) की वृद्धि को 9.0 प्रतिशत आंका गया है जोकि रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी मध्यावधिक समीक्षा में दोहराई गई 8.0 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर से भी ज्यादा है।

इसी मंच पर एक पहले अवसर पर, जिसे पहले दिसंबर 2002 में बीकोन के रूप में मनाया गया था, मैंने ऋण की निम्नतर वृद्धि का उल्लेख किया था और बैंकरों की उस सभा के श्रोतागणों को मैंने 'आलसी बैंकर' (मोहन, 2002) कहकर उनकी खिंचाई की थी। सौभाग्य से, आपने मेरी उस राय को गंभीरता से लिया था जिसके परिणामस्वरूप खाद्येतर ऋण में वृद्धि 2002-03 से 2005-06 तक औसतन 28.8 प्रतिशत की रही। यह वृद्धि चालू वर्ष में शिथिलता का कोई संकेत नहीं दे रही है और यह वृद्धि और बढ़ कर अब 30.0 प्रतिशत तक पहुंच गई है। व्यापक मुद्रा में वृद्धि 2002-03 से औसतन 16.2 प्रतिशत रही हैं जो वर्तमान वर्ष में बढ़कर 19.0 प्रतिशत पर पहुंच गई है। ये प्रवृत्तियां आगे यह संकेत भी देती हैं कि भारत गहराती हुई वित्तीय स्थिति के साथ-साथ उच्च आर्थिक वृद्धि के पथ पर है।

इस प्रक्रिया में एक नई चिंता उभरी है वह है - वित्तीय समावेशन की। इसके अलावा, भारत सरकार ने भी अपनी विभिन्न पहलों जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारत निर्माण कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान आदि के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में समग्र समावेशन के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है। वित्तीय समावेशन पर एक समिति (अध्यक्ष : डा.सी.रंगराजन) भी भारत सरकार द्वारा जून 2006 में गठित की गई है, जो देश में उच्चतर वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए रणनीति की सिफारिश करेगी।

इसी प्रकार संरचनागत और संगठित वित्तीय प्रणाली में ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या की पहुंच बढ़ाने में समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की 2004 से स्पष्ट कार्य सूची रही है। अनेक केंद्रीय बैंकों से भिन्न, जो केवल मुद्रास्फीति पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अनेक विकसित और उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में, जिनमें हमारी अर्थव्यवस्था भी शामिल है, वृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह निश्चित रूप से एक स्पष्ट धारणा है कि हमारे यहां जनसंख्या में ऐसी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, संभावित उद्यमी हैं, छोटे उद्यम और अन्य लोग हैं जिन्हें वित्तीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें हाशिए पर छोड़ दिया गया है, तथा उन्हें वृद्धि करने और समृद्ध होने के अवसरों से वंचित रखा गया है। अतः रिज़र्व बैंक ने देश में वित्तीय व्याप्ति का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनेक नए उपाय किए हैं। नागरिकों के कल्याण के लिए इसके निहितार्थों के कारण न केवल वित्तीय समावेशन अनिवार्य है, बल्कि इस पर भी जोर दिए जाने की जरूरत है कि इसे एक अधिक समावेशी

---

* डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 3 नवंबर 2006 को हैदराबाद में आयोजित वार्षिक बैंकर्स सम्मेलन 2006 में दिया गया भाषण। यह व्याख्यान उनके 26 सितंबर 2006 को मुंबई में एफआइसीसीआई-आइबीए सम्मेलन में इसी विषय पर दिए गए पहले व्याख्यान पर काफी ज्यादा आधारित है। इस आलेख को तैयार करने में श्री चरन सिंह, ए.पी.गौड, सुप्रियो मजूमदार, सैबल घोष तथा पार्था रे द्वारा दी गई सहायता आभार पूर्वक स्वीकार की जाती है।

रूप में आर्थिक वृद्धि की तेज गति को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति भी बनाया जाए। इसी संदर्भ में, मैंने यह उचित समझा कि आर्थिक वृद्धि और वित्तीय गहनता के व्यापक परिप्रेक्ष्य में वित्तीय समावेशन की रणनीति को भी शामिल करूं।

इस शीर्षक पर मेरे विचार निम्नलिखित रूप में रखे गए हैं। शुरू में, मैं भारत में वृद्धि की प्रक्रिया और वित्तीय गहनता पर अपने विचार रखूंगा। इसके बाद वित्तीय समावेशन के संबंध में परिभाषागत पहलुओं और अन्य देशों के अनुभवों के साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। इसके बाद मुख्य जोर वित्तीय समावेशन की प्रासंगिकता को हमारी अर्थव्यवस्था के साथ, जोकि उच्च वृद्धि के पथ पर है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ परस्पर जोड़ने पर होगा। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अदा की जा रही भूमिका पर समाप्ति से पहले के खंड में जोर दिया जाएगा। मेरे निष्कर्षात्मक विचार उन मुद्दों के रूप में होंगे जिनका वित्तीय समावेशन पर प्रभाव पड़ता है।

II. आर्थिक वृद्धि

गत कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की प्रवृत्ति ऐसी लगती है कि वह उच्चतर वृद्धि का नया चरण शुरू होने का संकेत करती है। चौथाई शताब्दी तक लगभग 6.0 प्रतिशत की औसत वृद्धि से बढ़कर गत कुछ वर्षों में यह 8.1 प्रतिशत हो गई है। जनसंख्या वृद्धि की गिरती हुई दर के साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हाल के वर्षों में 6 प्रतिशत से ऊपर रही है और लगभग 7 प्रतिशत की ओर बढ़ रही है जो प्रति दस वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना कर देगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि वर्तमान वृद्धि की प्रक्रिया कढ़ाई में आया तूफान नहीं है और वह वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ निरंतर वहनीयता के संकेत दे रही है, बावजूद अनदेखे बाह्य आघातों की ओर से दबावों के।

बचत के मोर्चे पर, सघउ के अनुपात के रूप में 2000 के बाद के दशक के प्रारंभिक वर्षों से सकल घरेलू बचत में बढ़ती हुई प्रवृत्ति निरंतर निर्बाध बनी हुई है। सकल घरेलू बचतों की दर 2001-02 के सघउ के 23.6 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 29.1 प्रतिशत हो गई है जिसमें सार्वजनिक बचत का योगदान सर्वाधिक है। यह सार्वजनिक बचत जहां 2001-02 में सघउ के 2.2 प्रतिशत का अधिव्यय दर्शाती थी, वहीं यह 2004-05 में 2.0 की बचत के रूप में बदल गई जिससे सार्वजनिक बचतों में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्यतः राजकोषीय समेकन के प्रक्रिया को दर्शाती है। घरेलू बचतें निरंतर बढ़नी जारी हैं और बढ़ी हुई कंपनी बचतें उनकी लाभप्रदता में स्वस्थ वृद्धि को दर्शाती हैं। निवेश में वृद्धि के उत्साहवर्धक संकेत भी निर्विघ्न रूप से सुदृढ़ हुए हैं। बचतों और निवेश की दरों में सुधार के साथ-साथ मुद्रास्फीति की दर 1990 के बाद के दशक में 7.8 प्रतिशत से गिरकर हाल के वर्षों में 4.7 प्रतिशत रह गई है। बचतों और निवेशों में ऐसी स्वस्थ वृद्धि के साथ वित्तीय मध्यस्थन उत्तरोत्तर महत्व प्राप्त करता जा रहा है। (परिशिष्ट सारणी 1)।

इन सुधारों के साथ-साथ विनिर्माण गतिविधियों में भी पुनः उभार आया है। 1997-2003 के दौरान विनिर्माण में उल्लेखनीय रूप से अवरोध देखा गया था। समग्र औद्योगिक पुनर्बहाली 2002-03 के दौरान चालू हुई और यह निर्यातों के साथ घरेलू मांग में स्वस्थ वृद्धि की पृष्ठभूमि में निरंतर बनी हुई है जो उच्च विश्व आर्थिक वृद्धि निर्यातों में वृद्धि, बढ़ती हुई क्षमता उपयोग, क्षमता के बढ़ाने तथा सकारात्मक कारोबार और उपभोक्ता विश्वास से समर्थित है। परंतु विनिर्माण में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि के बहुत कम साक्ष्य हैं जो इस वृद्धि में समावेशी प्रवृत्ति के बारे में उभरते हुए संदेहों की ओर ले जा रहे हैं।

चालू उच्च औद्योगिक वृद्धि हाल के वर्षों में बैंक ऋण में तेज वृद्धि में परिलक्षित होती है। खाद्येतर ऋण में 1970 और 2000 के बीच औसतन वृद्धि 16.9 प्रतिशत रही है, जिसे कुछ विद्वानों ने वित्त से प्रेरित औद्योगिकीकरण का साक्ष्य माना है (बैल, 2001)। औद्योगिक मंदी की अवधि (1998 से 2002) के दौरान भी खाद्येतर ऋण में वार्षिक वृद्धि गिरकर 14.5 प्रतिशत रह गई जिससे मैंने 'आलसी बैंकिंग' कहा था। हाल के वर्षों में 2002-03 से 2005-06 के दौरान यह वृद्धि उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 28.8 प्रतिशत हो गई है जो संभवतः व्यवस्था में वित्तीयन की गहनता को दर्शाती है।

खाद्येतर ऋण में हाल ही का यह अधिकांश विस्तार खुदरा ऋण से प्रेरित है। 2002-03 से 2005-06 की उसी अवधि में खुदरा ऋण में वार्षिक वृद्धि 46 प्रतिशत थी। इसके फलस्वरूप समग्र बैंक ऋण में इसका अंश 1990-91 के 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 25.5 प्रतिशत हो गया। इससे पूर्व अधिकांश बैंक ऋण औद्योगिक कंपनी क्षेत्र को गया था। अतः खुदरा ऋण को यह बदलाव भी वित्तीय गहनता की ओर बढ़ने के रूप में देखा जा सकता है। और यह स्वयं उपभोक्ता माल के लिए बृहत्तर मांग के विस्तार के माध्यम से औद्योगिक और समग्र आर्थिक वृद्धि को बढ़ाता है।

उच्च औद्योगिक वृद्धि के साथ-साथ कंपनी क्षेत्र का बहुत स्वस्थ कार्य-निष्पादन भी देखा गया, जिसने असामान्य रूप से गत तीन वर्षों में उच्च लाभ में वृद्धि दर्ज की हैं जो 2002-03 की तीसरे तिमाही से 2005-06 के पहली तिमाही तक 11 लगातार तिमाहियों के दौरान करोत्तर लाभ में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। हालांकि यह वृद्धि अंतिम चार तिमाहियों में कुछ मंद हुई हैं, फिर भी यह 25 और 35

प्रतिशत के बीच उच्च बनी रही है। कंपनी जगत की बचतें 1999-02 में सघउ की 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 5.3 प्रतिशत हो गईं। अतः उत्पाद की दृष्टि से कंपनी जगत की वृद्धि के उच्च बने रहने की संभावना, उच्च धारित अर्जनों की उपलब्धता, तेजी से बढ़ते हुए मूल्यनों तथा निरंतर जारी उत्पादकता वृद्धि से बनी रहना अधिक संभव लगता है।

ये सभी गतिविधियां समग्रतः वित्तीय गहनता के आने का संकेत करती है, परंतु एक बार पुनः यह प्रश्न उठता है क्या यह कार्य-निष्पादन छोटे और मध्यम उद्यमों में भी देखा गया है और क्या ऐसे उद्यमों के लिए भी वित्तीय मध्यस्थन में विस्तार हुआ है जो वित्तीय समावेशन का प्रश्न उठाता है।

हाल के वर्षों में उच्च औद्योगिक तथा ऋण वृद्धि का समर्थन वणिक व्यापार तथा सेवाओं दोनों की उच्च वृद्धि द्वारा समर्थित रही है। वणिक निर्यात 1990-91 के सघउ के 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में लगभग 13.1 प्रतिशत के हो गए और सकल अमूर्त प्राप्तियां इसी अवधि में सघउ के 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 11.5. प्रतिशत की हो गईं। यदि हम सकल व्यापार को लें तो चालू खाता प्राप्तियों और भुगतानों का जोड़ अर्थव्यवस्था के खुलेपन के सूचकांक के रूप में सघउ के अंश के रूप में लें तो यह राशि 1990-91 में 19.2 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 49.5 प्रतिशत की हो गई। चूंकि ऐसी सभी प्राप्तियां और भुगतान बैंकिंग प्रणाली से होकर गुजरते हैं, अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ यह खुलापन वित्तीय गहनता में भी देखा जा सकता है, जबकि आर्थिक वृद्धि भी तेजी से बढ़ी है (परिशिष्ट सारणी 2)।

तथापि, हाल के वर्षों में देखी गई उच्च ऋण वृद्धि उसी अनुपात में पर्याप्त जमावृद्धि के साथ नहीं देखी गई है। 2001-02 से जमाराशियों में वृद्धि समग्र ऋण विस्तार का समर्थन देने के लिए अपेक्षित स्तर से काफी निम्न रही है (चार्ट 1) । बैंक अधिकांश वृद्धिशील ऋण के विस्तार का वित्तपोषण सरकारी प्रतिभूतियों में अपने अधिशेष निवेशों को कम करके करते रहे हैं। इसके अलावा, अब तक जो जमा में वृद्धि देखी गई है वह बड़े शहरों में संकेंद्रित रही है, अनुमानतः इसकी सहायता अन्य कंपनी लाभप्रदता से मिली है जिससे उच्च कंपनी नकदी शेष राशियां बनी हैं। अतः यह प्रवृत्ति यह संकेत करती है कि जहां बैंक ऋण के नियोजन में सक्रिय रहे हैं, जमा संग्रहण पर उनका मुख्य जोर पर्याप्त से कम रहा होगा। गैर-महानगरीय क्षेत्रों में जमा में वृद्धि मंद रही है, इस संकेत का यह भी तात्पर्य है कि वित्तीय समावेशन को आघात लगा है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि यदि जमा वृद्धि ऋण वृद्धि के अनुरूप न रही तो अतिरिक्त मांग अनिवार्यतः वास्तविक ब्याज दरों में

चार्ट 1 : समग्र जमाराशियों और ऋण में वृद्धि

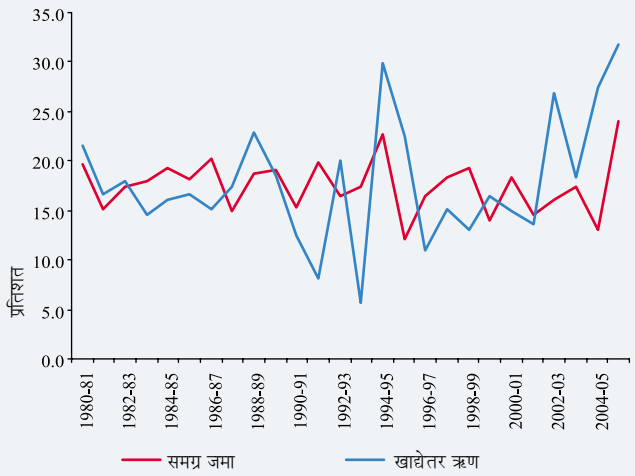

वृद्धि की ओर ले जाएगी जो वित्तीय समावेशन की संभावना की ओर बढ़ा देगा।

समग्रतः अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय क्षेत्र के हाल के कार्य-निष्पादन से यह स्पष्ट है कि वित्तीय क्षेत्र की वृद्धि का काफी बड़ा भाग आर्थिक वृद्धि की हाल की तेजी के साथ-साथ बढ़ा है। हम यह भी देखते हैं कि ऋण वृद्धि का काफी बड़ा भाग खपत और आवास के वित्तपोषण की ओर गया है जो यह सुझाता है कि वित्तीय प्रणाली व्यापक हुई है। परंतु जमावृद्धि मंद रही है, विशेषकर, महानगरीय क्षेत्रों से बाहर, जो वित्तीय गहनता तथा वित्तीय समावेशन के प्रश्नों की ओर ले जाती है।

III. वित्तीय गहनता

अर्थशास्त्रियों में एक आम सहमति है कि वित्तीय विकास आर्थिक वृद्धि को बढ़ाता है। सैद्धांतिक रूप से वित्तीय विकास या तो आपूर्ति प्रेरित (वित्तीय विकास वृद्धि को प्रेरित करता है) या मांग के अनुवर्ती (वृद्धि वित्तीय उत्पादों के लिए मांग पैदा करता है) सरणी के माध्यम से वृद्धि के लिए समर्थन स्थितियां पैदा करता है। अनुभवजन्य अनुसंधानों का काफी बड़ा भाग इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि वित्तीय प्रणाली का विकास आर्थिक वृद्धि में योगदान करता है (राजन, जिंगाल्स 2003) । अनुभवजन्य साक्ष्य निरंतर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वित्त और वृद्धि में परस्पर संबंध होता है। यद्यपि वह किस दिशा में जाता है इस मुद्दे का निर्धारण करना ज्यादा कठिन है। सभी देशों के स्तर पर साक्ष्य ये संकेत करते हैं कि वित्तीय विकास के विभिन्न उपाय (जिनमें वित्तीय मध्यस्थकों की आस्तियां, वित्तीय संस्थाओं की चलनिधि संबंधी देयताएं, निजी क्षेत्र के घरेलू ऋण, स्टॉक तथा बांड बाजार का पूंजीकरण भी शामिल है, भारी रूप में और सकारात्मक रूप से आर्थिक वृद्धि से जुड़े

हैं (किंग तथा लेवाइन, 1993; लेवाइन तथा जेइबोस, 1998)। अन्य अध्ययन औद्योगिक स्तर पर वित्तीय विकास और वृद्धि के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करते हैं (राजन और जिंगल्स 1998)। यहां तक कि हाल का घरेलू वृद्धि का साहित्य जो 'करते हुए सीखना' पर बना रहा है, वित्त को विशेष भूमिका प्रदान करता है (अजियन तथा हेबिट 1998 तथा 2005)।

जैसे-जैसे विकसित वित्तीय प्रणाली निधियों तक पैठ को व्यापक करती जाती है; इसके विपरीत अल्प विकसित वित्तीय प्रणाली में विधियों तक पहुंच सीमित होती है और लोग अपनी स्वयं की निधियों तक सीमित रह जाते हैं और उन्हें उच्च लागत वाले अनौपचारिक स्रोतों जैसे महाजनों (मनीलेंडरों) का सहारा लेना पड़ता है। जितना ही निधियों की उपलब्धता कम होगी और उनकी लागत उच्च होगी उतनी ही आर्थिक गतिविधियां कम होंगी जिन्हें वित्तपोषित किया जा सकता है, और इसलिए इसके परिणामस्वरूप निम्न आर्थिक वृद्धि होगी।

वित्तीय समावेशन पर कुछ हाल की चिंताएं अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (एआइडीआइएस) 2002 के परिणामों से उभरी हैं। 40 वर्षों की अवधि में खेती करने वाले परिवारों के लिए ऋण के स्रोतों में गैर संस्थागत ऋण के स्रोतों का अंश 1951 के 93 प्रतिशत से तेजी से गिरकर 1991 में 30 प्रतिशत रह गया है। जिनमें महाजनों का अंश 69.7 प्रतिशत से गिरकर 17.5 प्रतिशत रह गया है। तथापि, 2002 में एआइडीआइएस ने यह स्पष्ट किया कि महाजनों का अंश पुनः बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया है, जबकि गैर-संस्थागत स्रोतों का अंश समग्रतः बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया है) (सारणी 1)। दूसरे शब्दों में, बैंकिंग की पहुंच होते हुए भी औपचारिक ऋण प्रणाली अनौपचारिक वित्तीय बाजारों में पर्याप्त रूप से पैठने में सफल नहीं हुई हैं बल्कि, हाल के वर्षों में यह कुछ मामलों में सिकुड़ी हुई लगती है।

प्रासंगिक रूप से, यह भी सच है कि पिछले दशक के दौरान कृषि की वृद्धि की दर मंद हुई है और यह खासकर खाद्यान्न उत्पादन के मामले में सिकुड़ रही है। हरित क्रांति के बाद से, बैंक मोटे तौर पर अधिकांशतः खाद्यान्नों से जुड़ी फसलों के वित्तपोषण संबंधी ऋणों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। अतः यह विश्वास करने का कारण है कि वित्तीय समेकन गत 10-15 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है।

वित्तीय गहनता की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह उन लोगों के लिए जिनके पास अपना पर्याप्त वित्त नहीं है वित्त तक पहुंच का विस्तार करके आर्थिक वृद्धि को तेज करती है। विशेषकर, अल्प विकसित वित्तीय प्रणाली में पदधारी लोगों को संबंध बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय सेवाओं

सारणी 1 : कृषक परिवारों के उधार लेने के तुलनात्मक अंश #

(प्रतिशत)

ऋण का स्रोत	1951	1961	1971	1981	1991	2002$
1	2	3	4	5	6	7
गैर-संस्थागत	**92.7**	**81.3**	**68.3**	**36.8**	**30.6**	**38.9**
जिसमें से						
महाजन	69.7	49.2	36.1	16.1	17.5	26.8
संस्थागत	**7.3**	**18.7**	**31.7**	**63.2**	**66.3**	**61.1**
जिसमें से						
सहकारी समितिां आदि	3.3	2.6	22.0	29.8	30.0	30.2
वाणिज्यिक बैंक	0.9	0.6	2.4	28.8	35.2	26.3
अविनिर्दिष्ट	–	–	–	–	3.1	–
जोड़	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

: उधार लेने को यहां तात्पर्य बकाया नकदी ऋणों से है।
$: एआइडीआइएस.एनएसएसओ, 59वां दौर 2003।
स्रोत : अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण।

तक बेहतर पहुंच होती है। उसके अलावा, पदधारी आंतरिक रूप स्रोतों का निर्माण करके भी अपनी वृद्धि का वित्तपोषण कर लेते हैं। इस प्रकार अल्प विकसित वित्तीय प्रणाली में वृद्धि पदधारियों की विस्तार संभावनाओं से सीमित होती है। जबकि दूसरी ओर परिपक्व वित्तीय प्रणालियों में वित्तीय संस्थाएं मूल्यांकन तकनीकों तथा सूचना एकत्रीकरण और उनके आदान-प्रदान की प्रणाली-तंत्र का विकास कर लेती हैं जो तब बैंकों को उन फर्मों या गतिविधियों का भी वित्तपोषण करने में समर्थ बनाती है जो हाशिये पर हैं जिससे पदधारियों के अलावा उनकी भी वृद्धि-प्रेरक उत्पादक गतिविधियों को बढ़ाने में योगदान करती है। नवीन उभरते उद्यमियों और छोटी फर्मों के लिए बाह्य वित्त की यह उपलब्धता ही है जो नई प्रविष्टि को समर्थ बनाती है साथ ही पदधारियों को प्रतिस्पर्धा भी प्रदान करती है और परिणामस्वरूप उद्यमिता और उत्पादकता को प्रेरित करती है।

भारत के मामले में क्या स्थिति है? जैसा कि मैंने पहले कहा था, अविश्वसनीय कंपनीगत लाभ में वृद्धि जो लगभग लगातार तीन वर्षों तक 40 प्रतिशत से अधिक की रही, यह सुझाती है कि लाभप्रदता को निम्न पर अधिक संतुलित स्तरों पर लाने के लिए भारी स्तर पर नई प्रविष्टियां होंगी। तथापि यह आधारभूत रूप में अभीतक नहीं हुआ है, जिसमें कंपनी लाभप्रदता अभी भी अप्रैल, जून 2006 के दौरान लगभग 35 प्रतिशत वार्षिक की गति से बढ़ रही है। नयी फर्मों की प्रविष्टि संभवतः सीमित ही रही यह भी इस तथ्य से संकेत मिलता है कि ऋण वृद्धि की विभिन्न श्रेणियों के बीच छोटे और मझौले उद्यमियों को ऋण निम्नतम रहा है, हालांकि हाल के महीनों में इसमें उच्चतर वृद्धि के कुछ संकेत मिलते हैं।

तथापि वित्तीय गहनता के अन्य संकेत हैं (मोहन, 2004)। वित्तीय गहनता के एक संकेतक, सघउ के प्रति बैंक आस्तियों के अनुपात के अनुसार विश्व में निम्नतम है (बर्थ, केप्रियो और लेवाइन, 2001)। सभी देशों के तुलनीय आंकड़े यह संकेत करते हैं कि 2001 में यह अनुपात भारत के लिए 48 प्रतिशत था जो एशियाई अर्थव्यवस्थाओं जैसे इंडोनेशिया (101 प्रतिशत), कोरिया (98 प्रतिशत), फिलीफीन्स (91 प्रतिशत), मलेशिया (116 प्रतिशत) में प्रचलित इस अनुपात से काफी निम्न था, तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्रिटेन (311 प्रतिशत) फ्रान्स (147 प्रतिशत) तथा जर्मनी (313 प्रतिशत) से काफी निम्न है। भारत में, जहां सघउ के प्रति बैंक आस्तियों का अनुपात काफी बढ़ा है जो 2005-06 में 80 प्रतिशत से कुछ ऊपर ही रहा, स्पष्टतः हाल के वर्षों में उच्च ऋण वृद्धि का परिणामस्वरूप यह अभी भी अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों से निम्न ही है। राशि की दृष्टि से खाद्येतर ऋण में वार्षिक विस्तार 2001-02 के रु. 64,302 करोड़ से बढ़कर 2005-06 में रु.3,54,193 करोड़ का हो गया है, जबकि खुदरा ऋण लगभग 16,000 करोड़ रु. से बढ़कर रु. 1,09,129 करोड़ का हो गया है। अतः यह मानने की जरूरत है कि हाल के वर्षों में व्यापक आधार पर वित्तीय गहनता तीव्र गति से बढ़ती रही है और यह कि बैंकिंग उत्पादकता में उल्लेखनीय रूप से सुधार आया है और यह कि बैंकर स्पष्टतः बहुत व्यस्त हो गए हैं।

जहां बैंकों ने आस्ति निर्माण के पक्ष में 'लेजी बैंकिंग' की मेरी टिप्पणी को गंभीरता से लिया था, वहीं उन्होंने इस विश्वसनीय कार्य-निष्पादन को देयता के पक्ष में उसी के अनुरूप कार्य-निष्पादन नहीं किया है। क्या मुझे वैसी ही अभिव्यक्ति पुनः करनी चाहिए!

एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो तर्क-सम्मत रूप से उभरता है वह है - क्या उतनी ही वित्तीय गहनता व्यष्टि स्तर पर हो रही है ? यह सुझाव देने के पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि गरीब और कम साधन संपन्न व्यक्ति के लिए बैंक में खाता खोलना कठिन होता है, भले ही यह ग्रामीण क्षेत्र हो या अर्द्धशहरी या शहरी क्षेत्र अतः आम आदमी न केवल बचतें जुटाने या ऋण प्राप्त करने में बैंकों तक पैठ से वंचित है, बल्कि यही हाल संसाधनों की वित्तीय प्रणाली का भी है जो उसी प्रकार सारे देश में बढ़ती हुई आयों में वृद्धि से लबालब भरी है। यही वह विशेषता है कि हमें वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया से निपटना है। यही वह पहलू है जिस पर मैं अपने विचार आगे रखने जा रहा हूं।

IV. वित्तीय समावेशन

मैं वित्तीय समावेशन के बिल्कुल उलटे रूप से अर्थात वित्तीय बहिष्कार से अपनी बात शुरू करता हूं। मोटे तौर पर पारिभाषित वित्तीय बहिष्कार से तात्पर्य है - समाज के कुछ तबकों द्वारा उचित, कम कीमत वाले, उचित और सुरक्षित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए मुख्य प्रदाताओं तक पहुंच की कमी । इस प्रकार वित्तीय बहिष्कार मुख्य नीति संबंधी चिंता है, क्योंकि घरेलू बजट के परिचालनों के लिए या व्यष्टि/छोटे उद्यम के लिए मुख्य धारा की वित्तीय सेवाओं के बिना परिचालन करना अकसर खर्चीला हो सकता है। यह प्रक्रिया स्वतः जगने वाली हो सकती है, और अकसर सामाजिक बहिष्कार में, विशेषकर उन समुदायों के लिए जिनकी वित्तीय उत्पादों तक खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित पहुंच है, महत्वपूर्ण कारक हो सकती है।

वित्तीय बहिष्कार के अकसर दो मुख्य कारक बताए जाते हैं। पहला, यह दैनिक नकदी प्रवाह के प्रबंधन को पेचीदा बना देता है - वित्तीय रूप से बहिष्कृत से तात्पर्य है - घरेलू परिवार तथा व्यष्टि और लघु उद्यमी जो पूर्णतः नकदी में लेनदेन करते हैं और जो अनियमित नकदी प्रवाह के शिकार हो सकते हैं। दूसरा, असंगठित क्षेत्र में लोगों के लिए स्वयं अपने आज के लिए और अपनी वृद्धावस्था के लिए कोई प्रावधान करने के लिए उनके विकल्प को सीमित कर देते हैं क्योंकि बैंक खातों तथा अन्य बचत के अवसरों तक पहंच के अभाव में उनके लिए वित्तीय आयोजना और सुरक्षा की कमी है। व्यापक आर्थिक दृष्टि से बिना किसी औपचारिक बचतों के दो रूपों में संकटग्रस्त हो सकते हैं। पहला, जो व्यक्ति अनौपचारिक साधनों से बचत करते हैं, वे उन ब्याज दरों और कर - लाभों से वंचित रह जाते हैं जो औपचारिक रूप से बचतकर्ता उठाते हैं। दूसरे, अनौपचारिक बचत की सरणियां औपचारिक बचत की सुविधाओं की तुलना में कम सुरक्षित हैं। जो व्यक्ति इस आघात को न्यूनतम रूप में सहन करने की शक्ति रखते हैं वे ही सबसे ज्यादा जोखिम उठाते हैं। बचतों और बचतों के अवसरों /साधनों की कमी के परिणाम-स्वरूप उन्हें गैर-औपचारिक ऋणदाता जैसे महाजनों का सहारा लेना पड़ता है। इसके दो प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं - (क) औपचारिक उधारदाताओं द्वारा उच्चतर ब्याज दरों के लगाए जाने का जोखिम होगा और (ख) ग्राहक ऋणों की ब्याज दरें चुकाने और ऋणों की चुकौती करने में असमर्थ हो जाएंगे। चूंकि गैर-औपचारिक उधार दाता से लिए जाने वाले ऋण उधारकर्ता की संपत्ति से जमानती होते हैं, अतः यह दो स्पष्टतः अलग-अलग बाजारों के बीच परस्पर संबद्धता की समस्या खड़ी कर देते हैं। इस विशिष्ट संदर्भ में निर्णय लेने पर वित्तीय बहिष्कार एक गंभीर चिंता है - निम्न आय वाले परिवारों और मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में बसे परिवारों के लिए।

एक बार वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच में सुधार हो जाए तो उनका समावेशन उपभोक्ताओं को विनियामकों और अर्थव्यवस्था को समान रूप से कई लाभ उपलब्ध कराता है। किसी खाते के रिश्ते की स्थापना उपभोक्ता को रास्ता बताती है कि वह उन विभिन्न वित्तीय उत्पादों के

लाभ उठा सकते हैं जो न केवल मानकीकृत हैं, बल्कि ऐसी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं जो विश्वसनीय विनियामकों द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किए जाते हैं और इसलिए वे ज्यादा सुरक्षित हैं। बैंक का खाता भी विविध प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे थोड़े मूल्य के विप्रेषण कम कीमत पर करना तथा क्रेडिट पर खरीदारी करना। इसके अलावा, विनियामक के लाभ, क्योंकि लेखा परीक्षा का परीक्षण उपलब्ध है और लेनदेन पारदर्शी रूप में उस माध्यम से किया जाता है, जिसकी निगरानी की जा सकती है। जैसे-जैसे महत्तर वित्तीय संसाधन दक्ष मध्यस्थन और आबंटन के लिए पारदर्शी रूप में उन उपयोगों के लिए उपलब्ध होते हैं जिनसे सर्वाधिक प्रतिलाभ मिलता है, तो इससे अर्थव्यवस्था लाभान्वित होती है। दूसरे शब्दों में, बैंकिंग खाते का एकल द्वार अनेक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है और वह देश में तमाम आर्थिक इकाइयों के लिए लाभदायक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।

इसके अलावा, मैं एक महत्वपूर्ण संभावना को रेखांकित करना चाहूंगा। बिजली की उपलब्धता की दृष्टि से ग्रामीण बुनियादी संरचनाओं में सुधार, ग्रामीण सड़कों और दूरसंचार की व्यवस्था तथा गोदामों के निर्माण के द्वारा संपर्क /संबद्धता में सुधार से समग्रतः एक बेहतर आपूर्ति सरणी के प्रबंधन की ओर ले जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक संसाधनों में उत्पादकता को बढ़ाएगी तथा कृषि में महत्तर बढ़ोत्तरी करेगी, ऐसी आशा है। इन गतिविधियों के बैंकिंग क्षेत्र के लिए दोहरे निहितार्थ हैं। पहला, परंपरागत गतिविधियों की तुलना में इन नयी गतिविधियों के लिए उच्चतर वित्तीय जरूरतें, कृषि की समग्र वित्तीय सघनता कई गुनी बढ़ने की संभावना है । दूसरे, ग्रामीण बुनियादी संरचना में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण कृषि से इतर गतिविधियों के बढ़ने की भी संभावना है, जैसे मरम्मत संबंधी गतिविधियां, शिक्षा, आवासन, रेस्टोरेंट तथा चिकित्सा सेवाएं । ये गतिविधियां परंपरागत तथा उद्यमी दोनों बैंकिंग क्षेत्र द्वारा वित्त पोषण के लिए उपलब्ध होंगी।

इस प्रकार अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है, वित्तीय मध्यस्थन की दर और बढ़ने की आशा है। दूसरे शब्दों में, बैंकिंग प्रणाली के उत्तरोत्तर रूप में विद्यमान और उदीयमान उद्यमों के लिए भारी मात्रा में निधियों को उपलब्ध कराएगी। तथापि पर्याप्त जमा वृद्धि के बिना मध्यावधि में ऋण का विस्तार बनाए नहीं रखा जा सकेगा जबतक कि वास्तविक ब्याज दरों में भारी दबाव न रखा जाएगा और वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता को बनाए नहीं रखा जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव

विशेषकर, आय की असमानता के निम्न स्तर वाले देशों में वित्तीय बहिष्करण के भी निम्न स्तर पाए जाने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, जबकि उच्च स्तर के बहिष्करण कम से कम समानता वाले देशों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए स्वीड़न में, दो से कम प्रतिशत में वयस्क व्यक्तियों का 2000 में बैंक में खाता नहीं था, और जर्मनी में ये आंकड़े लगभग 3 प्रतिशत थे (केम्पसन 2006)। इसी तुलना में कनाड़ा में 4 प्रतिशत से कम और बेलजियन में 5 प्रतिशत से कम वयस्क व्यक्तियों के बैंक में खाते नहीं थे (बकलैंड आदि, 2005)। जिन देशों में असमानता का जितना ही उच्च स्तर रहा है उतना ही उच्च स्तर का उनमें वित्तीय बहिष्करण रहा है। उदाहरण के लिए पुर्तगाल में लगभग 17 प्रतिशत वयस्क जनसंख्या 2000 में किसी प्रकार का बैंक खाता नहीं रखती थी (केम्पसन 2006)।

इस प्रकार के बहिष्करण के प्रति नीति संबंधी प्रतिक्रियाएं भी भिन्न-भिन्न रही हैं (बाक्स 1)। उदाहरण के लिए स्वीड़न में बैंकिंग कारोबार अधिनियम 1987 की धारा 2 के अंतर्गत कोई बचत बैंक या बैंक खाता रखना व्यक्ति का अधिकार है। फ्रांस में बैंकिंग अधिनियम, 1984 का अनुच्छेद 58 बैंक खाता रखने के अधिकार को मान्यता देता है, अमेरीका में संघीय सरकार ने 1997 में सामुदायिक पुनर्निवेश अधिनियम लागू किया जो अंशतः निम्न आय वाले पड़ौसी प्रदेशों में बैंक शाखाओं के बंद हो जाने की चिंता की प्रतिक्रिया स्वरूप था। इस विधान के अंतर्गत, संघीय बैंक विनियामक एजेंसियां बैंकों की रेटिंग करती हैं कि उन्होंने निम्न आयवाले समुदाय की सेवा करने के कितने प्रयास किए हैं । ये प्रारंभिक विधान यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे कि जमा खाते में उनकी पहुंच सुनिश्चित हो, परंतु इनमें यह नहीं बताया गया कि वे किस प्रकार की सेवा प्रदान करेंगे। इस क्षेत्र में संशोधन 1990 के बाद के दशक के उत्तरार्द्ध में किए गए, जो अंशतः सामाजिक बहिष्करण की व्यापक चिंता के संबंध में किए गए प्रयासों के परिणाम थे (चेस्की आदि, 2006), (केम्पसन आदि 2000)। इस प्रकार यह नोट किया जा सकता है कि वित्तीय समावेशन विकसित देशों में भी चिंता का विषय है और इसे प्राप्त करने के लिए वैधानिक या विनियामक उपाय सामान्य विशेषता है।

भारत में वर्तमान स्थिति

मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा जो वित्तीय बहिष्करण पर मेरी चिंता को रेखांकित करते हैं। ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जमा और ऋण के अंश गिर रहे हैं। इसके विपरीत महानगरों में ये अंश बढ़ रहे हैं। महानगरीय क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में ऋण का अनुपात जमा के अनुपात से निम्न है, जिसका अर्थ है कि संसाधन महानगरीय क्षेत्रों में खप जाते हैं (सारणी 2)। यह अपने आप में अनिवार्यतः कोई चिंतनीय अवांछनीय या अप्रत्याशित नहीं हुआ होता यदि संसाधन उनके सर्वोत्तम उपयोग में काम आए होते। तथापि वे

बाक्स 1 : वित्तीय बहिष्करण के प्रति नीति संबंधी प्रतिक्रिया - देशवार अनुभव

वित्तीय बहिष्करण की प्रतिक्रिया स्वरूप केंद्रीय बैंकों ने दो प्रमुख प्रकार के नीति संबंधी कार्यवाहियां की हैं ; संव्यवहार की संहिताएं और विशिष्ट विधान। पहला, फ्रांस और बेलजियम जैसे देशों ने ऐसी पहलें की हैं कि बैंक न्यूनतम सुविधाओं के साथ बैंक खाते खोलने के लिए वचनबद्ध हों। बेलजियम में 'मांग जमा खाता' नाम से खुला खाता तीन प्रकार के बुनियादी लेनदेन आफर करता है - मुद्रा का अंतरण, जमा और आहरण तथा बैंक विवरण। तथापि, अलग-अलग बैंक अन्य सेवाएं भी दे सकते हैं यदि वे ऐसा चाहें तो । जर्मनी में, 1996 में जर्मन बैंकर्स एशोसिएशन ने एक स्वैच्छिक संहिता बनाई। इसमें 'प्रत्येक व्यक्ति' को चालू खाता, जिसमें बिना ओवरड्राफ्ट की सुविधा के बुनियादी बैंकिंग लेनदेन की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। इसी प्रकार, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया में, बुनियादी बैंकिंग तक पैठ बैंकों के साथ स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत की गई हैं और इसमें कोई औपचारिक चार्टर नहीं रखे गए हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में बैंकिंग संहिता बनाई गई है, जिसके अंतर्गत बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे ग्राहकों को उनके बुनियादी बैंक खाते और इसकी उनकी आवश्यकताओं के प्रति उपयुक्तता को सूचित करेंगे। एक वित्तीय समावेशन कार्य दल अप्रैल 2005 में बनाया गया जो बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच की निगरानी करता है।

अन्य कई देशों ने भी विशिष्ट विधान लागू किए हैं जो बैंक खाता का सभी को अधिकार प्रदान करता है तथा वे खाते किस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं इसको भी निर्दिष्ट किया गया है। फ्रांस में बहिष्करण कानून जो जुलाई 1998 में बना, यह दुहराता है कि बैंक का खाता रखने का सभी को अधिकार है जैसा कि पहले 1984 में के नियम में बनाया गया था और तबसे बैंक के खाते के अधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। बेल्जियम में, एक बैंकिंग विधेयक को अधिनियम बनाया गया जिसे अक्तूबर 2003 से लागू किया गया है। इसमें बुनियादी बैंक खातों के लिए न्यूनतम मानदंड बनाए जाने के अलावा, यह प्रभारों की सीमा तथा व्यक्ति से व्यक्ति को मुक्त अंतरणों के लिए न्यूनतम सीमा का निर्धारण करती है, कई रूपों में, कनाडा में नीतिगत प्रतिक्रिया, अन्य देशों की सर्वोत्तम प्रतिक्रियाओं का मिश्रण है।जून 2001 में बनाए गए अधिनियम के संबंधित विधान सभी बैंकों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे सभी केनेडियनों को खाता खोलने की न्यूनतम शेष राशियां रखने की अपेक्षा के बिना, बैंक खाता खोलेंगे, भले ही उस व्यक्ति का रोजगार या जमा /उधार का पुराना रिकार्ड कैसा भी क्यों न हो, उसके लिए पहचान की न्यूनतम अपेक्षाएं रखी जाएंगी। एक वित्तीय उपभोक्ता एजेंसी कनाड़ा में स्थापित की गई है जो इस बात की निगरानी करेगी कि वित्तीय संस्थाएं अपनी सार्वजनिक वचनबद्धता का पालन कर रही हैं या नही।

स्रोत :

केम्पसन.ई (2006) विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय बहिष्करण के प्रति नीति स्तर पर प्रतिसाद : विकासशील देशों के लिए सीख, वित्त तक पहुंच : समावेशन वित्तीय प्रणालियां बनाना, विश्व बैंक, वांशिंग्टन डी.सी. में सम्मेलन में प्रस्तुत आलेख ।

कोनोली.सी. तथा के.हर्जाज्य (2001), वित्तीय सेवाएं और सामाजिक बहिष्करण, वित्तीय सेवा उपभोक्ता नीति केंद्र, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स।

एच एम ट्रेजरी (1999) वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, लंदन : एचएम ट्रेजरी।

कुछ संकेत देते हैं चिंता का और उनकी अधिक खोज करने की जरूरत का।

जमा खातों के अलावा बचत खातों की कुल संख्या जो परिवारों की संख्या के प्रतिशत के रूप में बैंकिंग के प्रसार का बेहतर संकेतक माना जाता है, वह 1991 के सुधारों के समय ग्रामीण क्षेत्रों में 137, शहरी क्षेत्रों में 244 मानी गई है। 2005 तक सुधारों के बावजूद यह अंतराल अभी भी बना हुआ है। ऋण खातों के संबंध में ग्रामीण परिवारों के लिए इस स्थिति में गिरावट आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें

सारणी 2 : बैंकिंग सेवाओं का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत)

	कार्यालय			जमाराशियां			ऋण		
	1969	**1996**	**2005**	**1969**	**1996**	**2005**	**1969**	**1996**	**2005**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ग्रामीण	22.2	51.2	45.7	6.4	14.4	12.2	3.3	11.4	9.5
अर्धशहरी	40.4	21.3	22.3	21.8	19.5	16.9	13.1	13.1	11.3
शहरी	19.2	15.2	17.6	26.5	22.4	21.5	21.8	17.7	16.4
महानगरीय	18.2	12.3	14.4	45.3	43.7	49.4	61.8	57.8	62.7
कुल जोड़	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

उल्लेखनीय सुधार हुआ है (सारणी 3) जो खुदरा ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत करती है।

सघउ के प्रतिशत के रूप में कुल जमाराशियां ग्रामीण क्षेत्रों में 1991 के 32.2 प्रतिशत से बढ़कर 2005 में 47.1 प्रतिशत की हो गईं और शहरी क्षेत्रों में 37.3 प्रतिशत से बढ़कर 61.2 प्रतिशत । इसी प्रकार सघउ के प्रतिशत के रूप में ऋण का विस्तार इसी अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में 17.3 प्रतिशत से बढ़कर 22.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 24.8 प्रतिशत से बढ़कर 45.0 प्रतिशत हो गया (सारणी-4)। बैंकिंग प्रसार की दृष्टि से वयस्क जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा और ऋण खातों की संख्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में काफी निम्न रही है (सारणी 5)।

वित्तीय विस्तार की दृष्टि से भी, सुधार की गुंजाईश बनी हुई है। क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से 1991 से प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 1991 के 13,462 से बढ़कर 2005 में 16,650, और जैसी की आशा की गई थी, इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में 14,484 से घटकर 13,619 रह गई है। तीन क्षेत्रों उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और केंद्रीय क्षेत्रों में अखिल भारतीय औसत प्रति कार्यालय जनसंख्या की तुलना में, उच्चतर जनसंख्या है, और 1991 की तुलना में 2005 में यह ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है (सारणी 6)। फलस्वरूप, 1991 में प्रति सौ व्यक्तियों पर 29.9 की औसत बचत खातों की तुलना में वस्तुतः पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तथा केंद्रीय क्षेत्र के कई स्थलों पर यह अनुपात औसत से काफी कम रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में यह अखिल भारतीय औसत से ऊपर रहा है और जबकि उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में यह प्रमुख रहा है। प्रति 100 व्यक्ति ऋण खातों की संख्या की दृष्टि से दक्षिणी राज्यों

सारणी 4 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा और ऋण खाते

(सघउ के प्रतिशत)

		1981	1991	1996	2001	2005
1	2	3	4	5	6	7
जमा खाते						
1. चालू खाते	ग्रामीण	2.6	2.7	2.4	2.9	3.3
	शहरी	5.5	7.1	7.0	7.0	8.7
2. बचत खाते	ग्रामीण	9.8	11.2	10.5	13.6	18.6
	शहरी	7.2	9.0	7.9	9.8	13.3
3. चालू और बचत खाते	ग्रामीण	12.4	13.9	12.8	16.4	21.9
(1 + 2)	शहरी	12.7	16.1	14.9	16.8	22.0
4. मीयादी जमा खाते	ग्रामीण	13.8	18.3	20.5	27.9	25.2
	शहरी	16.6	21.2	22.4	29.2	39.1
5. कुल जमा खाते	**ग्रामीण**	**26.3**	**32.2**	**33.3**	**44.4**	**47.1**
(3 + 4)	**शहरी**	**29.3**	**37.3**	**37.3**	**46.0**	**61.2**
6. ऋण खाते	**ग्रामीण**	**13.0**	**17.3**	**14.4**	**15.8**	**22.3**
	शहरी	**20.0**	**24.8**	**25.5**	**31.1**	**45.0**

टिप्पणियां : 1. सघउ बाजार मूल्यों (चालू मूल्यों) पर प्रयोग किया गया है। सघउ के ग्रामीण और शहरी आंकड़े मासिक प्रति व्यक्ति कुल उपभोक्ता व्यय के अनुपात पर आधारित है, एनएसएसओ।

2. वही जो सारणी 3 में हैं।

स्रोत : वही जो सारणी 3 में हैं।

सारणी 3 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा और ऋण खातों की संख्या

(परिवारों की संख्या का प्रतिशत)

		1981	1991	1996	2001	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
जमा खाते							
चालू खाते	ग्रामीण	3.6	5.5	4.7	4.9	4.4	4.6
	शहरी	15.0	23.4	24.1	19.2	17.5	18.3
बचत खाते	ग्रामीण	59.6	137.0	129.8	123.3	126.8	131.5
	शहरी	135.5	243.7	249.7	197.4	206.5	213.1
चालू और बचत खाते	ग्रामीण	63.2	142.6	134.5	128.2	131.1	136.1
	शहरी	150.5	267.2	273.7	216.6	224.0	231.4
मीयादी जमा खाते	ग्रामीण	22.9	41.8	45.5	52.0	48.3	45.7
	शहरी	74.6	96.9	105.0	105.6	113.4	104.0
कुल जमा खाते	**ग्रामीण**	**86.1**	**184.4**	**180.0**	**180.1**	**179.4**	**181.8**
	शहरी	**225.1**	**364.1**	**378.7**	**322.2**	**337.4**	**335.4**
ऋण खाते	**ग्रामीण**	**18.0**	**44.3**	**36.0**	**26.5**	**28.7**	**32.2**
	शहरी	**15.1**	**29.9**	**27.1**	**28.4**	**42.5**	**50.2**

टिप्पणियां : 1. जनगणना जनसंख्या समूह हैं ''ग्रामीण'' और ''शहरी'' जबकि बीएसआर डाटा में ये समूह हैं ''ग्रामीण'', ''अर्द्धशहरी'', ''शहरी'' तथा ''महानगरीय''। इन दोनों में कोई एक-सा संबंध नहीं है तुलना के प्रयोजन के लिए तथा आसान बनाने की दृष्टि से ग्रामीण और अर्द्धशहरी को ग्रामीण और शहरी के रूप में लिया गया है तथा महानगरीय में शहरी भी शामिल है।

2. नए बने तीन राज्यों के लिए 1999 में परिवारों की संख्या 2001 के आंकड़ों पर आधारित है, जनसंख्या 1981, 1991 और 2001 की जनगणना पर आधारित है। 1996, 2004 और 2005 के लिए अनुमानित जनसंख्या का प्रयोग किया गया है और ग्रामीण और शहरी अनुपात पिछली जनगणना के प्रयुक्त किए गए हैं।

स्रोत : 1. भारतीय रिजर्व बैंक. 2. जनणना 2001.

सारणी 5 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा और ऋण खातों की संख्या

वयस्क जनसंख्या (आयु 15+) का प्रतिशत

		1981	1991	1996	2001	2005
1	2	3	4	5	6	7
जमा खाते						
चालू खाते	ग्रामीण	1.0	1.6	1.4	1.4	1.4
	शहरी	4.5	6.6	6.8	5.4	5.2
बचत खाते	ग्रामीण	16.1	39.6	37.6	36.5	39.0
	शहरी	40.3	69.2	70.9	55.8	60.2
चालू और बचत खाते	ग्रामीण	17.1	41.3	38.9	38.0	40.3
	शहरी	44.8	75.8	77.7	61.2	65.4
मीयादी जमा खाते	ग्रामीण	6.2	12.1	13.2	15.4	13.6
	शहरी	22.2	27.5	29.8	29.8	29.4
कुल जमा खाते	**ग्रामीण**	**23.3**	**53.4**	**52.1**	**53.4**	**53.9**
	शहरी	**67.0**	**103.4**	**107.5**	**91.0**	**94.7**
ऋण खाते	**ग्रामीण**	**4.9**	**7.7**	**8.0**	**7.9**	**9.5**
	शहरी	**4.5**	**12.8**	**10.4**	**8.0**	**14.2**

टिप्पणियां : वही जो सारणी 3 में हैं।
स्रोत : वही जो सारणी 3 में हैं।

में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह अखिल भारतीय औसत से ऊपर है।

सारणी 6 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के क्षेत्रीय स्तर के संकेतक

	1991	2005	1991	2005	1991	2005
	कुल		ग्रामीण		शहरी	
1	2	3	4	5	6	7
	प्रति कार्यालय जनसंख्या					
उत्तरी	11,002	12,257	10,771	13,043	11,571	10,941
उत्तर-पूर्वी	16,870	26,227	16,335	22,158	21,169	20,318
पूर्वी	16,441	19,913	16,402	21,208	16,614	15,759
केंद्रीय	15,786	19,518	15,153	20,264	18,745	17,297
पश्चिमी	12,771	14,618	12,579	15,526	13,108	13,472
दक्षिणी	11,932	12,328	11,276	12,372	13,811	12,243
अखिल भारतीय	**13,711**	**15,680**	**13,462**	**16,650**	**14,484**	**13,619**
	जमा राशियां : प्रति 100 व्यक्तियों पर बचत खातों की संख्या					
उत्तरी	40.0	38.3	30.1	29.7	62.6	55.4
उत्तर-पूर्वी	17.8	17.6	16.1	16.4	28.4	24.2
पूर्वी	21.8	20.5	17.7	16.9	40.0	36.1
केंद्रीय	23.8	24.5	21.0	22.1	34.7	32.9
पश्चिमी	35.5	32.5	24.7	23.8	53.8	45.2
दक्षिणी	37.0	37.6	34.6	35.5	42.7	41.8
अखिल भारतीय	**29.9**	**29.2**	**24.5**	**24.4**	**45.6**	**41.6**
	ऋण : प्रति 100 व्यक्तियों पर ऋण खातों की संख्या					
उत्तरी	6.4	5.7	6.6	5.1	5.9	6.7
उत्तर-पूर्वी	4.4	3.3	4.4	3.2	4.4	3.9
पूर्वी	6.6	4.2	7.2	4.2	4.3	4.3
केंद्रीय	5.5	4.3	5.8	4.2	4.4	4.5
पश्चिमी	5.7	7.5	6.2	4.2	4.8	12.2
दक्षिणी	11.8	14.2	13.6	12.7	7.6	17.4
अखिल भारतीय	**7.3**	**7.0**	**7.9**	**6.0**	**5.5**	**9.8**

टिप्पणियां : वही जो सारणी 3 और 4 में हैं।
स्रोत : वही जो सारणी 3 में है।

इस प्रकार उपर्युक्त आंकड़ों से उभर कर आने वाले निहितार्थ यह संकेत करते हैं कि बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की पर्याप्त रूप से सेल नहीं की जा रही है। यह सुझाता है कि बैंकों को ऐसे प्रयास किए जाने की जरूरत है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों से संसाधन जुटाने के प्रयास तेज करें जहां कि, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, कारोबार में वृद्धि की संभावना बढ़ रही है। इसके अलावा, यदि बैंकों को अपने समग्र जमा संग्रहण और ऋण विस्तार में संतुलन लाना है जैसा कि जबरदस्त बैंकिंग प्रथा में निहित है, तो उन्हें संसाधन जुटाने के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कल्पनाशील उपाय करने होंगे।

V. ग्रामीण अर्थव्यवस्था - वृद्धि, उत्पादन की प्रवृत्तियां तथा ऋण विस्तार

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कुछ और विस्तार से देखना शिक्षाप्रद होगा। हालांकि सघउ में कृषि का अंश 1980-81 के 35.8 प्रतिशत से गिरकर वर्तमान में 19.9 प्रतिशत से भी कम रह गया है, तथापि इस क्षेत्र पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि सीमित रही है (सारणी 7)। दूसरे शब्दों में अधिकांश श्रमिक-बल अभी भी कृषि पर निर्भर है, जबकि कृषि के कारण सघउ में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि की दर से आंशिक रूप से ही ऊपर है, जबकि इसके विपरीत गैर-कृषि क्षेत्र में सुदृढ़ वृद्धि की दर देखी गई है।

हाल के वर्षों में कृषि में गिरावट गेहूं, चीनी, दालें, जैसे पण्यों के मामले में घरेलू उत्पादन में आए वृद्धि अवरोध के कारण रही है। कुल उत्पादन (कृषि और संबंधित उत्पाद) में अनाजों के उत्पादन के अंश में उल्लेखनीय गिरावट आई है और वह 1960-61 के 31.7 प्रतिशत से गिरकर 2004-05 में 24.1 प्रतिशत रह गया (सारणी 8)। दूसरी ओर, दूसरे घटकों के अंश में जैसे पशु, मछली-पालन और गैर-अनाज के उत्पाद ने उल्लेख वृद्धि दर्शाई। गत 20 वर्षों से एक गुपचुप क्रांति रही है, जिसे शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों ने एक समान रूप से अनदेखा ही किया है। गैर-अनाजीय शाकाहारी खाद्यपदार्थ

सारणी 7 : सकल घरेलू उत्पाद के घटक*

(प्रतिशत)

वर्ष/क्षेत्र	कृषि और संबंधित	*जिसमें से* कृषि	उद्योग	सेवाएं	कुल
1	2	3	4	5	6
1970-71 से 1979-80	42.8	37.7	16.9	40.3	100.0
1980-81 से 1989-90	36.4	33.1	19.5	44.0	100.0
1990-91 से 1999-2000	29.1	26.7	21.9	49.0	100.0
2000-01 से 2005-06	21.9	20.8	21.4	56.7	100.0

* : वार्षिक औसत
स्रोत : राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी।

सारणी 8 : कृषि उत्पादन के बदलते स्वरूप

वर्ष	अनाज व दालें	गैर-अनाज खाद्य	नकदी फसलें	पशु और मछली	बानकी और लकड़ी का सामान	कृषि और संबद्ध (करोड़ रु.)
	क्षेत्रवार अंश : कृषि और संबद्ध उत्पाद के अनुसार					
1	2	3	4	5	6	7
1960-61	31.7	33.6	4.9	20.3	9.5	1,32,292
1970-71	31.4	34.9	4.8	20.1	8.8	1,69,066
1980-81	30.3	36.2	4.4	23.4	5.7	2,26,719
1990-91	28.6	36.4	4.5	26.2	4.3	3,10,165
2000-01	25.4	37.6	3.9	28.0	3.9	5,68,990
2004-05	24.1	अनु.	अनु.	29.2	3.8	6,22,183

स्रोत : राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी।

और गैर-शाकाहारी खाद्यपदार्थ (पशु और मछली) प्रत्येक के उत्पादन मूल्य अनाजों के उत्पादन मूल्य से ज्यादा रहे हैं। सैद्धांतिक रूप में, ये गतिविधियां, अधिक ऋण सघन होनी चाहिए। अतः यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि कृषि की हमारी छवि केवल चावल और गेहूं से बदलकर काफी सम्मिश्र और व्यापक होनी चाहिए, ताकि नीति निर्माता इस क्षेत्र को उपयुक्त महत्व प्रदान कर सकें और तदनुसार प्रतिक्रिया कर सकें (मोहन, 2006)।

अनाजेतर खाद्य-उत्पादन के अलावा, सेवा और विनिर्माण गतिविधियां भी ग्रामीण क्षेत्रों में तेज गति से बढ़ रही हैं। नई आपूर्ति सारणी संबंधी गतिविधियां हैं - सार्टिंग, ग्रेडिंग, भंडारण, शील भंडारण, परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण आदि। ये सभी नकदी अर्थव्यवस्था में हैं और संभावित रूप से ऋण की जरूरत में हैं। वस्तुतः ऐसा अनुमान है कि कृषि अब ग्रामीण सघउ के आधे से भी कम है। यह युगांतरकारी परिवर्तन है। जो 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में कभी हुआ था। अतः 'ग्रामीण' को अब आगे से 'कृषि' का पर्याय नहीं माना जाएगा। परिणाम यह है कि ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय शायद है शहरी प्रतिव्यक्ति आय की समान दर से बढ़ रही है।

इस बात के भी प्रमाण हैं कि (एनसीएईआर) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खपत और आय की वृद्धि और वितरण के स्वरूप में परिवर्तन हो रहे हैं। जैसा कि एनसीएईआर द्वारा लगातार वर्गीकृत किया जा रहा है वास्तविक आय के विच्छेद बिंदु को सतत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 'निम्न आय' के रूप में वर्गीकृत परिवारों का अनुपात 1990 के बाद के प्रारंभिक वर्षों के लगभग दो तिहाई से गिरकर अब लगभग एक चौथाई रह गया है। साथ ही 'मध्यम' आय वर्ग के रूप में वर्गीकृत परिवारों की संख्या एक तिहाई से बढ़कर अब लगभग 70 प्रतिशत हो गई है (एनसीएईआर 2003)। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय बचतों में एक तेज उछाल देखा गया है, परंतु हम इसका प्रमाण उन परिवारों की संख्या या अनुपात में वृद्धि का नहीं देखते हैं जिनके बैंक में खाते हों।

बैंकिंग प्रणाली को जरूरत है कि वह ग्रामीण क्षेत्र में वास्तविकताओं से अपने आप को समायोजित करे। इस बात के प्रमाण हैं कि वे ऐसा करने में कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं। चूंकि कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि संबंधी सघउ का अनुपात भी गिरेगा, तथापि यह आंकड़ों से नहीं देखा गया है (सारणी 9)। हाल के वर्षों में कुल ऋण के प्रति कृषि ऋण के अनुपात में आई गिरावट पर चिंता व्यक्त की गई हैं। आंकड़े बताते हैं कि कुल ऋण की तुलना में कृषि ऋण भी हाल के वर्षों में बढ़ता रहा है, परंतु अभी भी वह 1970 के बाद के दशक के स्तर से निम्न बना हुआ है।

विद्यमान कृषि ऋण प्रणाली, जैसा कि पहले संकेत किया गया था, को खाद्यान्न उत्पादन की जरूरतों के अनुसार तेज किया गया है। यह नोट करना हर्ष का विषय होगा कि कुल कृषि उत्पादन के मुकाबले खाद्यान्न उत्पादन के अंश में आई गिरावट के बावजूद कृषि संबंधी सघउ के अंश के रूप में कृषि सघउ का अंश नहीं गिरा है। वास्तव में, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में निर्दिष्ट मूल्य और उत्पाद मूल्य - दोनों के अंश के रूप में कृषि ऋण बढ़ता रहा है (सारणी 10)।

इसके अलावा, निजी निवेश के रूप में दीर्घावधि ऋण भी 1990 के बाद के दशक में बढ़ता रहा है (सारणी 11) । साक्ष्य का शेष भी यह सुझाता है कि कृषि में गैर-निष्पादक ऋण (एनपीएल) अन्य क्षेत्रों के मुकाबले और विशेषकर, लघु उद्योगों क्षेत्र (एसएसआई) में दिए गए ऋणों के मुकाबले उच्च नहीं है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में गैर-

सारणी 9 : कृषि संबंधी सघउ, कुल सकल घरेलू उत्पाद में और कुल ऋण में प्रत्यक्ष कृषि ऋण का अनुपात

वर्ष	कृषि ऋण/सघउ	कृषि ऋण/ कुल सघउ	कृषि ऋण/ वाणिज्य क्षेत्र की बकाया
1	2	3	4
1970 का	5.4	2.1	10.8
1980 का	8.3	2.6	8.5
1990 का	7.4	2.0	6.4
1999-2000	10.0	2.6	8.1
2000-01	11.3	2.8	7.9
2001-02	14.0	3.0	8.2
2002-03	16.6	3.1	7.7
2003-04	18.0	3.4	8.6
2004-05	25.0	4.4	9.8
2005-06	25.9	4.9	9.3

टिप्पणी : 1. कृषि ऋण, सहकारी संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि तथा संबंधित गतिविधियों को दिए गए प्रत्यक्ष ऋण।
2. कुल सघउ तथा कृषि संबंधी सघउ उत्पादन लागत और चालू मूल्यों पर हैं।
3. सीएस अन्य बैंकों का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण (बकाया) कुल ऋण के स्थान पर है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड।

सारणी 10 : उत्पाद का सकल मूल्य, निविष्टि मूल्य तथा अल्पावधिक ऋण

(चालू मूल्यों पर करोड़ रु.)

वर्ष	उत्पाद का सकल मूल्य	निविष्टि मूल्य	अल्पावधिक ऋण	निम्न के प्रतिशत के रूप में अल्पावधिक ऋण	
				उत्पाद मूल्य	निविष्टि मूल्य
1	2	3	4	5	6
1993-94	2,71,839	55,401	5,424	2.0	9.8
1998-99	4,88,731	93,416	10,821	2.2	11.6
1999-2000	5,26,658	1,21,878	12,610	2.4	10.3
2000-01	5,29,800	1,26,773	15,442	2.9	12.2
2001-02	5,66,563	1,37,802	18,882	3.3	13.7
2002-03	5,56,121	1,51,437	23,324	4.2	15.4
2003-04	6,25,121	1,53,770	31,972	5.1	20.8
2004-05	6,48,096	1,59,658	..	..	..

.. : उपलब्ध नहीं

स्रोत : राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी।

निष्पादक ऋण सार्वजनिक तथा निजी बैंक दोनों में मार्च 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों के गैर निष्पादक ऋणों की तुलना में निम्नतर थे (मोहन, 2006)।

उपर्युक्त आंकड़ा विश्लेषण के अलावा, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि गैर संस्थागत कृषि ऋण 1950 के दशक के 92.7 प्रतिशत से गिरकर 2002 में 38.9 प्रतिशत रह गया है। इस प्रकार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनके बढ़े हुए मौलिक विस्तार ने निश्चित रूप से अंतर बनाया है, परंतु अभी-भी उसमें सुधार की गुंजाईश है।

बागबानी, पुष्पबानी, कार्बनिक कृषि, जेनेटिक इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग जो सभी नकदी सधन हैं, इन नई गतिविधियों में वृद्धि से प्रेरित ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ी हुई बैंकिंग सुविधाओं की जरूरत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खपत के वित्त पोषण में आई तेजी के प्रमाण को देखते हुए बैंक और उधारकर्ता दोनों के लाभ के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम उपयोगकर्ताओं के निम्नतम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए आपूर्ति सरणियों को भी सुदृढ़ करने की जरूरत है और जैसा कि अधिकांश विकासशील देशों के बारे

सारणी 11 : निजी पूंजीनिर्माण तथा दीर्घावधि ऋण के भाग

(करोड़ रु.)

दशक / वर्ष	निजी क्षेत्र पूंजी निर्माण	निवेश गत ऋण	प्रतिशत कालम 2 के प्रति कालम तीन
1	2	3	4
1980-81 से 1989-90	7,840	2,603	33.2
1990-91 से 1999-2000	12,299	7,794	63.4
2000-01	15,374	11,707	76.2
2001-02	15,823	11,992	75.8

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (2004)।

में सही है - उभरती गतिविधियों के वित्तपोषण की दिशा में बैंक ऋण मुख्य प्रेरक होगा।

VI. बैंक ऋण के लिए रणनीति

कृषि ऋण के लिए चिंताओं का लंबा इतिहास रहा है। कृषि के लिए संस्थागत ऋण के अंश में वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही है। संस्थागत ऋण को ग्रामीण क्षेत्र में देना स्पष्टतः कठिन पाया गया। जून में से कुछ महत्वपूर्ण कारण अवधारणा का जोखिम, इसके आकलन और प्रबंधन की लागत ग्रामीण बुनियादी संरचना की कमी, तथा ग्रामीण क्षेत्र का व्यापक भौगोलिक फैलाव, जिसमें एक लाख से ज्यादा गावों और कुछ काफी दूर-दूर बसे हुए और बिखरे रूप में कम जनसंख्या वाले आदि अनेक कारण रहे हैं।

व्यापक भौगोलिक रूप से फैले छोटे-उधारकर्ताओं को उधार देना स्वाभाविक रूप से उच्च अंतरण लागत से जुड़ी होती है। वह रणनीति, जो पर्याप्त प्रयोगों के किए जाने के बाद बनाई गई, वह थी - प्राथमिकता - प्राप्त क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराना, जिसमें मुख्यतः कृषि और लघु उद्योग शामिल हो। यह भी बैंकों के राष्ट्रीकरण के पीछे मुख्य कारण रहा। यह रणनीति अपेक्षाकृत सफल रही वह आंकड़ों से स्पष्ट होती है (सारणी 1)। परंतु यह भी अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच पाई थी तथा इसने 1990 के बाद के दशक में औपचारिक ऋण की पहुंच में गिरावट भी दर्शाई थी।

अब मुख्य मुद्दा है कि ग्रामीण ऋण को संस्थागत स्रोतों से मुख्य धारा में कैसे लाया जाए ताकि वह व्यापक व्याप्ति प्राप्त कर सके, वित्तीय समावेशन का विस्तार कर सके और आर्थिक वृद्धि को बढ़ा सके। उत्तरोत्तर रूप में बैंकों और अन्य वित्तीय मध्यस्थकों को ग्रामीण ऋण के विस्तार में कारोबार की संभावना को तलाशना होगा न कि जबरदस्ती उधार देने के लिए एक दायित्व के रूप में।

एक रणनीति जिसे काफी लोकप्रियता और व्यापक स्वीकृति मिल रही है, वह है - व्यष्टि-वित्त, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है - बांगला देश के ग्रामीण बैंक की सफलता, जिसे मोहम्मुद युनुस को नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाने पर और भी ज्यादा मान्यता मिल गई है। परंतु अधिकांश व्यष्टि वित्त केवल फसलों के लिए ही नहीं होता है, बल्कि अन्य उधार के लिए भी होता है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए। यहाँ मुख्य मुद्दा है उधारदाता और उधारकर्ता दोनों की अंतरण लागत को कम करना।

बैंकों के लिए, व्यष्टि वित्त संबंधी एजेंसियां तथा अन्य वित्तीय मध्यस्थक ग्रामीण ऋण को कारोबारी अवसरों के रूप में देखें इसके

लिए काफी सूचना का निर्माण करना होगा ताकि वे फसली कृषि के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हो रही अन्य अनेक गतिविधियों को भी समझें और उन्हें मान्यता प्रदान करें। अनाज से इतर खाद्य, खाद्येतर कृषि, सेवा संबंधी गतिविधियां निर्माण और आवास, ग्रामीण खुदरा गतिविधियां, सभी औपचारिक वित्त पोषण संबंधी सरणियों के उच्चतर स्तरों की मांग करती हैं जिन तक पहुंच आसान हो। इसके लिए जोखिम के आकलन में नवोन्मेष, अंतरण लागत में कमी, तथा नई ऋण सरणियों की खोज तथा सुपुर्दगी और उगाही प्रणालियों के लिए सस्ती सूचना तकनीक का उपयोग करने की जरूरत होगी।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चावल और गेहूं की परंपरागत फसलों को ऋण देने से भिन्न कृषि के नए वृद्धि क्षेत्रों में उच्च स्तर की विषमता है, उपायों का कोई उपयुक्त पैकेज बनाने में नीति निर्माताओं का कार्य अधिक चुनौती पूर्ण हो जाता है। इन उत्पाद समूहों में से प्रत्येक में अनेक प्रकार की किस्में हैं जो उगाई जा सकती हैं, उत्पादन आम तौर पर क्षेत्रीय रूप से संकेंद्रित होता है। उत्पादन और विपणन की दशाएं काफी अलग-अलग होती हैं, तथा निविष्टि संबंधी अपेक्षाएं भी काफी भिन्न-भिन्न हैं। अतः उच्चतर उत्पादकता को समर्थन देने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने, और इन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए काफी कुछ क्षेत्रीय रूप से भिन्न-भिन्न और जानकारी गहन होने की जरूरत होगी। इसके लिए दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्षेत्र-विशेष के बाजार सहभागियों को शामिल करना होगा और इन सभी गतिविधियों में निजी क्षेत्र के आपूर्तिकर्ताओं तथा ऋण आपूर्ति कर्ताओं में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लेकर सहकारी बैंकों, नए निजी क्षेत्र के बैंकों तथा व्यष्टि ऋण के आपूर्तिकर्ताओं, विशेषकर स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना होगा।

इन सभी नई गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए जो आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ाने में सहायता करेंगी और उसे काफी तेज कर देंगी, बैंकों को वर्तमान में कम सेवा प्राप्त अनेक परिवारों और छोटे कारोबारियों से भी जमाराशियां जुटाने में अपने प्रयासों का बढ़ाना होगा।

VII. रिज़र्व बैंक की भूमिका

ऐतिहासिक रूप से रिज़र्व बैंक और भारत सरकार देश में बैंकिंग के प्रसार के लिए प्रयास करते रहे हैं। इनमें से कुछ उपाय हैं - 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का निर्माण, 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1970 में अग्रणी बैंक योजना की शुरूआत, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, 1992 में स्वयं सहायता समूह और बैंक संपर्क कार्यक्रमों की शुरूआत और 2001 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाना। इन सुधारों के होते हुए भी वित्तीय समावेशन को नीति संबंधी दस्तावेजो में स्थान बहुत हाल ही में मिल पाया। 2004-05 के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक नीति में गवर्नर डॉ. रेड्डी ने कहा था जिसे मैं यहां उद्धृत करता हूं -

''बैंकिंग क्षेत्र में दक्षता और सर्वांगी ऊर्जास्विता इन दोनों को बढ़ाने की दिशा में बैंकों में विस्तार, महत्तर प्रतिस्पर्धा तथा स्वामित्व का विशाखीकरण हुआ है। तथापि बैंकिंग संव्यवहारों, जिनमें जनसंख्या के व्यापक तबकों, विशेषकर, पेंशनभोगियों, स्व-नियोजकों, तथा उन लोगों को जो असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं, को आकर्षित करने के बजाए छोड़ने की प्रवृत्ति झलकती है, के संबंध में कुछ वैध चिंताएं हैं। निःसंदेह वाणिज्यिक लाभ का मुद्दा महत्वपूर्ण है, परंतु बैंकों को अनेक विशेषाधिकार दिए गए हैं, विशेषकर जनता से जमा राशियां बहुत कम दरों पर प्राप्त करने के और इसके परिणामस्वरूप, उन्हें यह दायित्व स्वीकारना चाहिए कि वे जनसंख्या के सभी घटकों के सम्यक आधार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करें।''

इसके अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने वित्तीय रूप से छोड़ी गई जनसंख्या को बनी-बनाई वित्तीय प्रणाली की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से, अनेक उपाय किए हैं। ये उपाय मुख्यतः नैतिक आचार संहिताओं के स्वरूप के हैं और अपनी विशेषता में स्वैच्छिक हैं जो महत्तर वित्तीय पहुँच को बढ़ाने के लिए हैं (बाक्स 2)।

रिज़र्व बैंक भी बैंकों में ग्राहक सेवा केंद्र बनाने के साथ-साथ बैंकों में जनता की शिकायत निवारण प्रक्रिया-तंत्र पर आवधिक रूप से मार्गदर्शी दिशा निदेश जारी करता रहा है। दी गई सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रियाओं और कार्य-निष्पादन पर लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने यहाँ बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन करें। रिज़र्व बैंक में, हाल ही में ग्राहक सेवा विभाग का गठन किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ ग्राहकों और बैंकों के बीच में संपर्क सूत्र का कार्य करेगा।

व्यापक आधार पर रिज़र्व बैंक महत्तर जागरूकता लाने तथा बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ाने की दृष्टि से दोतरफा रणनीति अपना रहा है जिसे सशक्तिकरण और संरक्षण कहा जा सकता है। जहाँ तक पहले का संबंध है, वित्तीय समावेशन इसकी प्रक्रिया का पहला चरण है। वित्तीय शिक्षा के माध्यम से व्यापक जनता के बीच जागरूकता लाकर इसे सशक्त बनाया गया है। साथ ही साथ, ऋण परामर्शन के रूप में परामर्शी प्रणाली-तंत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो संकटग्रस्त उधारकर्ताओं की सहायता करेगा और उन्हें औपचारिक वित्त के दायरे में लायेगा। जहाँ तक संरक्षण का संबंध है, एक भारतीय बैंकिंग आचार और मानक बोर्ड

बाक्स 2 : वित्तीय समावेशन की दिशा में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपाय

नवंबर 2005 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे निम्न या शून्य न्यूनतम निर्धारित शेष जमाराशि और प्रभारों वाले 'नो फ्रिल्स' खातों वाली बुनियादी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि ऐसे खातों की पहुंच जनसंख्या के व्यापक तबकों तक बढ़ाई जा सके। तबसे अनेक बैंकों ने मूल्य संवर्धन की विशेषताओं के साथ या उनके बिना ऐसे 'नो फ्रिल्स' खाते खोलने की शुरुआत की है। रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च 2006 तक लगभग पांच लाख 'नो फ्रिल्स' खाते खोले जा चुके हैं जिनमें से दो-तिहाई सार्वजनिक क्षेत्र के और एक तिहाई निजी क्षेत्र के बैंकों के हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निम्न आय समूह वाले व्यक्ति का बैंक खाता खोलने के संबंध में किसी प्रक्रियागत कठिनाईयों का सामना न करना पड़े, अतः नए खाते खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) की प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निदेश दिए हैं कि वे खुदरा ग्राहकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली सभी मुद्रित सामग्री अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराएं। अभी हाल ही में, जनवरी 2006 में कारोबार सुविधा प्रदाता या कारोबारी प्रतिनिधि माडल के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों को गैर सरकारी संगठनों, व्यष्टि वित्त संस्थाओं तथा अन्य सिविल सोसाइटी के संगठनों की सेवाएं लेने की अनुमति दी गई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ग्राहकों को झंझट-रहित ऋण प्रदान करने के लिए सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना (जीसीसी) पर मार्गदर्शी दिशा निदेशों को आसान बनाया गया ताकि ग्राहकों पर जमानत या ऋण के अंतिम उपयोग पर जोर दिए बिना आसान शर्तों पर ऋण तक पहुँच हो सके। ग्राहकों को झंझट-मुक्त रूप से ऋण प्रदान कराने की दृष्टि से बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे किसान क्रेडिट कार्ड की तरह का आम क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते है। रुपए 25,000 तक के मूलधन वाले ऋणों के लिए जो 30 सितंबर 2008 को संदिग्ध या हानिगत आस्तियां बन चुकी हों, ऋणों के एक बारगी निपटान के लिए आसान प्रणाली-तंत्र अपनाने का सुझाव दिया गया। सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण के मामले में, बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा विकसित की जानेवाली राज्य विशेष के दृष्टिकोण को अपनाते हुए पृथक मार्गदर्शी दिशा निदेश बनाएं। बैंकों को विशेष रूप से सूचित किया गया है कि एक बारगी निपटान प्रणाली के अंतर्गत निपटाए गए ऋणों के उधारकर्ता नए ऋण के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली के पुनर्आकलन के पात्र होंगे। बैंकों को सूचित किया गया कि वे इन उपायों को सभी शाखाओं पर लागू करें ताकि महत्तर वित्तीय समावेशन प्राप्त किया जा सके। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भी, जो निरंतर रूप से बैंकों की सुविधा से वंचित रहा है, महत्तर वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए पहलें की गई हैं।

रिज़र्व बैंक यह मानता है कि सूचना प्रौद्योगिकी से संपन्न सेवाएं उन चुनौतियां का सामना कर सकती हैं जो बुनियादी संरचना की कमी, उच्चतर अंतरण लागत तथा लेनदेन की निम्न मात्रा जैसे मुद्दों से निपटने तथा वित्तीय समावेशन की व्याप्ति और प्रसार को बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। रिज़र्व बैंक ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कार्रवाई करने की शुरुआत पहले ही कर दी है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

का हाल ही में गठन किया गया है, जो बैंकों द्वारा प्रदान जा रही बैंकिंग सेवाओं के न्यूनतम मानकों के लिए व्यापक आचार संहिता सुनिश्चित करेगा। संशोधित बैंक लोकपाल योजना लागू की गई है जो बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा में कमियों को दूर कराएगी।

VIII. निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

अर्थव्यवस्था अब ऐसे चरण से गुजर रही है जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, वर्तमान आर्थिक गतिविधियों के विस्तार तथा नई गतिविधियों के सृजन से निकलने वाली आय तेजी से बढ़ रही है। कंपनियों की लाभप्रदता ने निरंतरता की प्रवृत्ति दर्शाई है तथा उपभोक्ताओं की आय तेजी से बढ़ रही हैं, जो वृद्धि की गति को बढ़ा रही है। ये सभी गतिविधियां यह सुझाती हैं कि वित्तीय सेवाओं के लिए मांग, बचतों और उत्पादन - दोनों प्रयोजनों के लिए पिछली अवधि की तुलना में आगे अधिक रहेगी और वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता वाले, जिन्हें अभीतक सेवाएं नहीं मिली है, नए ग्राहक जुड़ेंगे। वर्तमान में हमारी वित्तीय गहनता अन्य एशियाई देशों की तुलना में काफी कम है। हालांकि इसने हाल ही में गति पकड़ ली है। यहाँ वित्तीय गहनता में वृद्धि के प्रमाण हैं, विशेषकर वर्तमान दशक में, औपचारिक वित्त की व्यापकता और व्याप्ति में वृद्धि पर्याप्त नहीं हुई है। हमारे देश के विकास की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वित्तीय प्रणाली की गहनता तथा इसकी पहुँच की व्यापकता वृद्धि की गति को तेज करने तथा सम्यक वितरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

सारे देश में उद्यमशीलता में भारी उछाल आया है जो ग्रामीण अर्द्धशहरी और शहरी सभी क्षेत्रों में फैली हुई है। इसका पोषण और वित्तपोषण करना होगा। सभी आकारों के उद्यमों की वृद्धि के द्वारा ही यह संभव है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। आज का एक छोटा उद्यमी

कल का बड़ा उद्यमी होगा और अंततः बहुराष्ट्रीय उद्यमी बन जाएगा यदि उसे वित्तीय समर्थन की सुभीता प्रदान की जाए। परंतु हमें यह भी समझना होगा कि इसमें असफलताएं भी होंगी और सफलताएं भी। अतः बैंकों को अपनी जोखिम आकलन और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को सशक्त बनाना होगा और अपने जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में इन असफलताओं के लिए प्रावधान करना होगा। इस जोखिम के बावजूद वित्तीय समावेशन और वृद्धि के लिए प्रथम बार के उद्यमियों के लिए वित्तपोषण अनिवार्य है।

संसद ने पिछले साल ऋण सूचना ब्यूरो, अधिनियम को पारित कर दिया था और इसको लागू करने के लिए मार्गदर्शी दिशानिदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। कुछ समय में, यह व्यक्तियों और छोटे उद्यमियों दोनों के लिए ऋण का पुराना इतिहास उपलब्ध कराने में समर्थ बनाएगा। जो बैंकों के लिए लेनदेनों और सूचना की लागतों को कम करने में काफी मदद करेगा। यह उधारकर्ताओं में ऋण संस्कृति को फैलाने में भी सहायता करेगा। यह निम्न लागत पर जोखिम के आकलन और प्रबंधन में भी बैंकों की बहुत सहायता करेगा।

जैसे-जैसे गरीबी के स्तर गिरते हैं और परिवारों के पास अपने विवेक पर खर्च करने के लिए आयों के बेहतर स्तर होते हैं, वे पहली बार वित्तीय बचतकर्ता होंगे। अतः उन्हें बैंकिंग की आदत बनाने के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंचने के लिए आसान पैठ होनी चाहिए। बैंकों को ऐसे ग्राहकों को अपने क्षेत्र में लाने के लिए नई-नई पद्धतियों को बनाने या उनमें नवोन्मेष लाने की जरूरत है, इस स्थिति में प्रक्रिया की वस्तुनिष्ठता का त्याग किए बिना, 'नो फ्रिल्स' खाते तथा नए खाते खोलने के लिए स्वीकार्य पहचान दस्तावेजों को बढ़ाने की महत्ता को रेखांकित करने की जरूरत नहीं है। बैंकों को अपने ग्राहकों को अपने पास आने की अपेक्षा करने के विपरीत उन्हें स्वयं ग्राहकों के पास जाना होगा।

व्यष्टि वित्त तथा स्वयं-सहायता समूह की गतिविधियां अपने शैशव काल में हैं, परंतु वे शक्ति संचित कर रहे हैं। बैंकों को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कारोबारी सुविधा-प्रदाताओं और प्रतिनिधियों के रूप में वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने हेतु और अधिक नवोन्मेष करने होंगे। बैंकिंग प्रणाली में नए आगंतुकों के लिए परिवारों के द्वार पर जाना होगा। अपनी बात समाप्त करते हुए मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि बढ़ते हुए उदारीकरण, और उच्चतर आर्थिक वृद्धि के चलते बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका देश के अंदर वित्तीय गतिविधियों के वित्त पोषण के स्वरूप में बढ़ने वाली है। बढ़ती हुई ऋण की मांग को पूरा करने के लिए बैंकों को व्यापक जमा आधार से संसाधन जुटाने होंगे तथा अपनी ऋण की गतिविधियों का क्षेत्र अब तक बैंकों द्वारा वित्तपोषित न किए गए क्षेत्रों तक बढ़ाना होगा। कृषि और ग्रामीण गतिविधियों के वाणिज्यिकीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति नए अवसरों का सृजन करेगी और बैंकों को उनमें फैलने के लाभों की जांच करानी चाहिए। वित्तीय समावेशन वित्तीय गहनता को बढ़ाएगा और बैंकों को अपनी ऋण सुपुर्दगी बढ़ाने के संसाधन उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार वित्तीय समावेशन हमारे देश को वित्तीय विकास की ओर ले जाएगा जो आर्थिक वृद्धि की गति को तेज करने में सहायता करेगा।

संदर्भ :

- एघियन, पी तथा पी.होविट (1998) ''एडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, एमआईटी प्रेस ।

- एघियन पी. तथा पी होविट (2005) : एप्रोप्रिएट ग्रोथ पॉलिसी : ए यूनिफाईंग फ्रेम वर्क दि 2005 जोसेफे सूम्पीटर लेक्चर, योरोपियन इकानामिक एशोसियेशन अमस्ट्रडम - बर्थ जे.जी.केप्रियों तथा आर लेवाइनर (2001) : दि रेग्यूलेशन एंड सुपर विज़न ऑफ बैंक्स अराउंड दि वर्ल्ड : ए न्यू डाटाबेस ''वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च बर्किंग पेपर सं. 2588, वाशिंग्टन डी.सी।

- बैल सी (2001) ''पोस्ट इन्डिपेंडेंस इंडिया : ए केस ऑफ फाइनेंस लेड इन्डस्टिलाइजेशन'' जनरल ऑफ डवलपेंट इकानामिक्स, 65 - 153-75

- बकलैंड, जे तथा बी.गुंटर (2005) : देयर आर नो बैंकस हीयर, फाइनेंसियल एण्ड इन्श्यूरेंस इक्सक्लूजन इन विनिपेग ''नार्थ ऐण्ड स्पेशल साइंऐज एण्ड ह्यूमेनेटीज रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा (सितंबर)।

- केस्के जे.पी सी. आर; दुरान, सी आर तथा टी एम सोलो (2006): ''दि अर्बन अनबैंक्ड इन मैक्सिको एण्ड दि यूनाइटेड स्टेट्स'' वर्ल्ड बैंक पालिसी रिसर्च वर्किंग पेपर 3835 ।

- कोनोली, सी तथा के.हजाज (2001) : ''फाईनेंसियल सर्वेसेज एण्ड सोसियल इक्सक्लूजन'' फाइनेंसियल सर्वेसेज कन्ज्यूमर पालिसी सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स।

- भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण (विभिन्न वर्ष) भारत सरकार, नई दिल्ली

- एच एम ट्रेजरी (1999) ''एक्सेज टू फाइनेंसियल सर्वेसेज, लंदन, एच एम ट्रेजरी

- केम्पसन,ई (2006), पालिसी लेवल रेसपोंस टू फाइनेंसियल एक्सक्लूजन इन डवलप्ड इकानामीज़; लेसन्स फार डवलपिंग कन्ट्रीज'' एक्सेस टू फाईनेंस : बिल्डिंग इन्क्लूसिव फाइनेंसियल सिस्टम्स, विश्व बैंक वाशिंग्टन डी सी में क्रान्फ्रेस में प्रस्तुत आलेख।

- केम्पसन ई, जे, केस्के सी हाइले और एस कौलार्ड (2000) : ''इन ऑर आउट ? लंदनः फाइनेंसियल सर्विसेज़ ओथोरिटी।

- किंग आर जी. तथा आर लेवाइन (1993); फाइनेंस एण्ड ग्रोथ : शूम्पीटर माइट बी राइट, अर्थशास्त्र की तिमाही पत्रिका 108,717-37

- लेवाइन आर तथा एस जेर वोज़ (1998) : स्टॉक मार्केट्स, बैंक्स एण्ड इकानामिक ग्रोथ, अमरीकन इकानामिक रिव्यू 88: 537-58

- मोहन, आर (2002) : ''भारतीय बैंकिंग का रूपान्तरण : बेहतर कल की तलाश में'' भारिबैंक बुलेटिन (जनवरी)

- मोहन, आर (2004) : ''भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार : नीतियां और कार्य निष्पादन विश्लेषण'' भारिबैंक बुलेटिन (अक्तूबर)

- मोहन, आर (2006) ''भारत में कृषि ऋण : स्थिति, मुद्दे और भावी कार्य सूची'' इकानामिक सण्ड पोलिटिकल वीकली (मार्च) पृष्ठ 1013-23

- एनसीइएआर (2003) ''इंडिया मार्केट डेमो ग्राफिक्स रिपोर्ट 2002, नई दिल्ली एनसीइएआर ।

- राजन, आर जी तथा एल जिंगल्स (1998) : फाइनेंसियल डिपेंडेंस एण्ड ग्रोथ, अमरीकन इकानामिक रिव्यू 88, 559-86

- राजन, आर जी तथा एल जिंग्लस (2003) : ''सेविंग केपिटलिस्म फ्रोम केपिटलिस्ट्स'' क्राउन बिजिनेस, न्यूयार्क।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (2004) : रिपोर्ट आफ दि इडवाइजरी कमेटी ऑन फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एण्ड रिलेटेड एक्टीविटीज़ फ्रोम बैंकिंग सिस्टम (अध्यक्ष : बी.एस.व्यास) आरबीआइ मुंबई।

परिशिष्ट सारणी 1 : चुनिंदा व्यापक आर्थिक संकेतक - वार्षिक औसत वृद्धि दर

(प्रतिशत)

	1970-71 से 1990-91 तक	1991-92 से 2000-01 तक	2001-02 से 2005-06 तक
1	2	3	4
1. प्रतिव्यक्ति आय	2.0	3.5	5.3
2. जनसंख्या		2.2	2.0 1.7
3. सघउ (सतत मूल्य)	4.4	5.7	6.7
कृषि	2.9	2.6	2.5
उद्योग	5.9	5.9	6.2
जिसमें से			
विनिर्माण	5.7	6.1	6.8
सेवाएं	5.3	7.4	8.6
4. सकल घरेलू खाते (सघउ के प्रतिशत के रूप में)	18.7	23.2	27.0
परिवार	13.7	18.7	22.7
कंपनी	1.7	3.9	4.2
जनता	3.3	0.7	0.1
5. सकल घरेलू निवेश (सघउ के प्रतिशत के रूप में)	19.8	24.3	26.4
6. मुद्रास्फीति (थोक मूल्य सूचकांक)	8.7	7.8	4.7

***** : निवल राष्ट्रीय उत्पाद (उपादान लागत)
स्रोत : राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। (केसांस)

परिशिष्ट सारणी 2 : भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलेपन के सूचकांक

(सघउ के प्रतिशत)

	1991-96	1996-2001	2001-06
1	2	3	4
1. वणिक निर्यात	8	8.8	11.3
2. वणिक आयात	10.1	12.4	14.9
3. सकल अमूर्त प्राप्तियां	4.1	6.1	9.2
4. सकल अमूर्त भुगतान	3.1	3.8	5.1
5. खुलेपन का सूचकांक (1+2+3+4)	25.3	31.1	40.5

* : घटाएं अधिकारिक अंतरण
स्रोत : भा. रि. बैंक